संख्या-2/2019/ए-1-30/दस-2019-10(48)/2013

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 11 जनवरी, 2019**

विषय :- वेतन सम्बन्धी आयकर की कटौती-आयकर अधिनियम-1961 की धारा-192 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के परिपत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत् परिपत्र शासनादेश संख्या-1/2019/ए-1-01भा0स0/दस-2019-10(48)/2013, दिनांक 11 जनवरी, 2019 **http://shasanadesh.up.nic.in** पर उपलब्ध है।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त परिपत्र को आवश्यकतानुसार डाउनलोड करना चाहें।

भवदीय,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

संख्या-2/2019/ए-1-30(1)/दस-2019-10(48)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3- सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।
4- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इन अनुदेशों से राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों को अवगत कराने का कष्ट करें।
5- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6- वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in